5·6·18	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट / रेस्पो० उपस्थित, पीठासीन अधिकारी महोदय आज .... अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 14.6.18 को पेश हो। वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पत्रावली की नकल की शामिल मिसल
14-6-18	वकील अपीलान्ट उप० / अहलमद प्रार्थना का० मु० प्रस्तुत रेस्पो० सं० 16 तथा अमेन्डमेन्ट का सुना गया। वास्ते आदेश दि० 21-6-18 को पेश हो।
21·6·18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । विद्वान वकील अपीलान्ट/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज किया कि रेस्पोडेन्ट सं० 16 ......सिंह का देहान्त दिनांक 10-9-2013 को हो गया जिसके विधिक वारिस किरण कंवर पत्नी, ...सिंह पुत्र, संगीता कंवर, अनुकंवर, निकिता पुत्रिया, महावीरसिंह, प्रतापसिंह पुत्रगण, सायरकंवर पुत्री, ...सिंह, दीपेन्द्रसिंह पुत्रगण एवं नीलम पुत्री है जिनको कायम मुकाम बनाया जावे । प्रार्थना पत्र प्रार्थी कानूनी अनभिज्ञता से विलम्ब से पेश किया तथा अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट सं0-16 की मृत्यु की जानकारी अपने

अर्जुन सिंह — शक्तिसिंह 98/2012

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र
	वकील को नहीं दी दिनांक 17-1-2018 को रेस्पो0 सं0-16 के फौत होने की जानकारी दी तब यह प्रा0 पत्र जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया है तथा प्रार्थना पत्र के साथ दफा-5 प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमे प्रार्थना पत्र को विलम्ब को माफ कर अन्दर मियाद शुमार कर वारिसान को रेकार्ड पर लिया जावे । दूसरा प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या-3 हिम्मतसिंह का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा श्री मनोजभार्गव ने पेश कर निवेदन किया किया रेस्पोडेन्ट संख्या-3 का देहान्त हो गया जिसके वारिस प्रार्थी रामकंवर पत्नी एवं कमलकंवर पुत्री है जिनको रेस्पोडेन्ट संख्या-3 के स्थान पर कायम मुकाम बनाया जावे ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र की लिखित बहस पेश करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या-16 हणमानसिंह अपील में एक औपचारिक पक्षकार है जिसकी मृत्यु की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दफा-5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है । ऐसे मामलों में न्यायालय को नरम रुख अपनाते हुये प्रकरण का निर्णय कानूनी बिन्दू पर न कर गुणावगुण पर किया जाना चाहिये जिसके समर्थन में कानूनी नजीर आरएलडब्लू 2006(2)राज0पेज-1240, आरआरडी 2008 पेज 437, आरआरडी 1997 पेज 131, आरआरडी 1994 पेज 185 पेश कर स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों में हुये विलम्ब को माफ कर कायम मुकाम बनाये जाकर प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना उचित माना है ।अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र कायम मुकाम स्वीकार कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जावे ।

विद्वान वकील अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या-16 हणमानसिंह की मृत्यु दिनांक 10-9-2013 को होना बताया तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 17-1-18 को पेश किया जो लगभग 4 वर्ष 4 माह के विलम्ब से पेश किया प्रार्थना पत्र

दिनांक	आज्ञा पत्र	
21-6-18	पत्र के साथ आदेश-22 नियम-9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र उपसमन को निरस्त कराने का भी प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया । 90 दिवस की समयावधि में अपीलान्ट द्वारा कायम मुकामी कार्यवाही नहीं की इस कारण अपीलान्ट की अपील दिनांक 9-12-13 को अबैट हो चुकी और अबैटमेन्ट को निरस्त करवाने का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जिसकी मियाद भी दिनांक 7-12-14 को समाप्त हो चुकी । डिक्री संयुक्त रूप से जारी है इस कारण यह सम्पूर्ण अपील ही अबैट होगी जैसा ए0आई0आर0 1978 राज0 पेज-16 में स्पष्ट किया है । रेस्पोडेन्ट संख्या-3 की मृत्यु की दिनांक ही नहीं लिखी है । प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र भी विलम्ब से पेश किया । अपीलान्ट का यह कहना कि पक्षकार को कानून की जानकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किया है यह अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश करने का कोई आधार नहीं है। कायम मुकाम की मियाद मृत्यु की दिनाक से ही गणना की जाकर की जाती है। अपीलान्ट एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है । अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या-16 को अपील में औपचारिक पक्षकार बताया है यह गजत है	

रेस्पोडेन्ट संख्या-16 हणमान औपचारिक पक्षकार नहीं है बल्किहणमान एक आवश्यक पक्षकार है और आवश्यक पक्षकार की मृत्यु होने पर अपील सम्पूर्ण रूप से अबैट होती है ।अतः प्रार्थना पत्र अपील अबैटमेन्ट का स्वीकार कर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील को अबैट होने पर खारिज की जावे ।बहस के समर्थन में ए0आई0आर 1978राज0 पेज 16 एवं एआईआर 1974{एच0पी0} पेज 52 पेश की ।

बहस बगौर समाहत की गई ।अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में हणमान की मृत्यु दिनांक 10-9-2013 को होना दर्ज किया है तथा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र 17-1-18 को पेश किया ।अदालत हाजा की आदेशिका दिनांक 1-12-2017 में रेस्पोडेन्ट संख्या

उप प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

-16 के कायम मुकाम पेश करने का आदेश हुआ है अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-16 एक ही गांव के एक ही जाति समाज के है। अर्थात अपीलान्ट कोरेस्पो0 सं0-16 की मृत्यु की जानकारी मृत्यु के दिनांक से ही है ।अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किया जिसके साथ आदेश-22 नियम-9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है ।तथा प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कारण कानून की जानकारी नहीं होना बताया अपीलान्ट का यह कारण सन्तोषप्रद नही जिससे अपीलान्ट को मियाद का कोई फायदा नही दिया जा सकता ।अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की है उनके तथ्य भिन्न है। तथा विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र अबैटमेन्ट पेश किया है उसमे स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित है कि रेस्पोडन्ट संख्या-16 हणमानसिह की मृत्यु दि0 10-9-13 को हुई जिसका आवेदन 17-1-18 को पेश किया जो लगभग 4 वर्ष 4 माह बाद पेश किया गया । प्रार्थना पत्र के साथ उपशमन को निरस्त कराने का भी प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है ।इतना ही नही अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-16 एक ही जाति समाज के है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को हणमान सिह की मृत्यु की जानकारी मृत्यु की दिनाक से ही रही है ।इसके बाद भी अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया ।अदालत मातहत मे डिक्री संयुक्त रूप से पारित हुई है । रेस्पोडेन्ट सं0-16 के कायम मुकाम समय पर पेश नहीं करने पर यह अपी.. संयुक्त रूप से पारित डिक्री के विरूद्ध होने से प्रस्तुत नजीरो के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण रूप से अबैट हो चुकी है कायम मुकाम प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किये जाते हैं तथा अपील अपीलान्ट अबैट होने से खारिज की जाती है । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सुनाया गया ।

21/6/18